

अति-आवश्यक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक- एफ2(535)अनु-14/04-05/डी-375

दिनांक: 2/4/05

**परिपत्र :-**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बिड डोक्यूमेंट के सेशन-4 के पार्ट-1 "अनुबन्ध की सामान्य शर्तों" के अनुसार ठेकेदार द्वारा स्वयं को स्वयं पर नियोक्ता एवं ठेकेदार के संयुक्त नाम से, अनुबन्ध की शर्तों की बीमा पॉलिसी, कार्य संबंधी दायित्वों, पूर्ण होने की अवधि तक के लिए बनाई जाकर नियोक्ता कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

आन्तरिक जांच परीक्षण में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अधिकांश वृत्त/खण्ड कार्यालयों द्वारा उपरोक्त शर्तों की समुचित पालना नहीं की जा रही है जिससे भविष्य में होने वाली बीमा जन्य जोखिम की समुचित भरपाई होना संभव नहीं है।

अतः सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वह ठेका जन्य शर्तों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें। यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य कार्यों में नियमानुसार अभी तक बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं की गई है तो अविलम्ब प्राप्त की जावे अन्यथा हानि की स्थिति में संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।

इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

*[Signature]*  
(एच0 एल6 मीणा) 1/4/2005  
मुख्य अभियन्ता

क्रमांक- 375

दिनांक 2/4/05

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. मुख्य अभियन्ता(पथ) / मुख्य अभियन्ता(एनएच), सा0 नि0 वि0, राज0, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी(मु0) / मुख्य लेखाधिकारी, एनएच, सा0 नि0 विभाग, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-..... (सगरस्त)
4. अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग, वृत्त-..... (सगरस्त)
5. अधिशाषी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग, खण्ड-..... (सगरस्त)
6. रक्षित पत्रावली

*[Signature]*  
मुख्य अभियन्ता

1/4/2005

*[Handwritten notes and stamps]*  
मुख्य अभियन्ता (पथ) / मुख्य अभियन्ता (एनएच), सा0 नि0 वि0, राज0, जयपुर।  
दिनांक 2/4/05

Cop to A/c PWD Sb & Encl / BSSII  
Prag for up & up for  
Cop to Sh. Suresh UAC / 4 B/S/10/05  
for pursuing the insurance cover for  
Pakke no 186